संख्या-5/2016/1030/31-2016-76/2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग लखनऊः दिनांकः 28 अप्रैल, 2016

विषयः- विकास एजेण्डा, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 का जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-450/31-2016-76/2014 दिनांक 18 फरवरी, 2016 एवं शासनादेश संख्या-702/31-2016-76/2014 दिनांक 15 मार्च, 2016 द्वारा शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित 49 कार्यक्रमों के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु एजेण्डा बिन्दु निर्धारित कर मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु प्रेषित किए गए हैं।

2. उपर्युक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि विकास एजेण्डा, वर्ष 2015-16 में जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु चिन्हित 49 कार्यक्रमों की जनपदों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की गई प्रगति का प्रशासकीय विभाग द्वारा सत्यापन किया जाए। जनपदों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की गई प्रगति के सन्दर्भ में जारी शासनादेश में दी गई व्यवस्था में संशोधन करते हुए अब निम्न व्यवस्था लागू की गई है।

3. जिलाधिकारी प्रत्येक माह की 14 तारीख को समय सायं 5.00 बजे तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के लिंक पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड कराना सुनिश्चित करेगें तत्पश्चात वेबसाइट लाक कर दी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रत्येक माह की 14 तारीख के उपरान्त अगले 05 दिनो में जनपद एवं मण्डल स्तर पर संचालित कार्यक्रमों की जनपदों से वेबसाईट पर अपलोड की गई प्रगति सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। यदि जनपदों द्वारा अपलोड की गई प्रगति में विभाग को किसी प्रकार की ओवर रिपोर्टिंग अथवा कम प्रगति परिलक्षित प्रतीत होती है, और यदि सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग प्रगति में संशोधन करना चाहते हैं, तो सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा वेबसाइट पर प्रगति में निम्नप्रकार से संशोधन किया जा सकता है।

5. जनपदों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की गई प्रगति वेबसाइट यू0आर0एल0 http://pid.up.nic.in/cmppnew पर लिंक होगा, जिसमें विभागीय लॉगिन पर क्लिक करेंगे और उसके पश्चात एक लॉगिन विन्डो खुलेगी। लॉगिन विन्डो खुलने पर प्रशासकीय विभाग अपने विभाग का नाम चयन करेंगे तथा लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड डालकर सबमिट करेंगे। एजेण्डा बिन्दुओं से सम्बन्धित विभागों को लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उनके विभागीय के ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया जाएगा। लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड सबमिट करने के पश्चात प्रशासकीय विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रम एवं प्रपत्र दिखाई देंगे। कार्यक्रम/प्रपत्र पर क्लिक करने के पश्चात उस कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी जनपदों की प्रगति प्रदर्शित होगी। प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रगति में यथावश्यक संशोधन किया जा सकता है।

6. प्रशासकीय विभाग द्वारा लागिन करने के पश्चात खुलने वाली विन्डो पर प्रशासकीय विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का सत्यापन किया जा सकता है। सत्यापन से पूर्व संशोधित आंकड़ा/प्रगति की पुष्टि प्रशासकीय विभाग द्वारा अवश्य कर ली जाए।

7. प्रशासकीय विभाग द्वारा जनपदों की प्रगति में ओवर रिपोर्टिंग, कम प्रगति अथवा भिन्नता पाए जाने पर सम्बन्धित जनपद के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा। प्रशासकीय विभाग के सत्यापन के उपरान्त जिलाधिकारी वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित प्रगति रिपोर्ट को देखेंगे परन्तु प्रशासकीय विभाग द्वारा किए गए संशोधन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकेंगे। प्रशासकीय विभाग द्वारा संशोधित की गई प्रगति से असहमत होने पर जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग से पत्राचार किया जाएगा। यदि प्रशासकीय विभाग जिलाधिकारी के विचार से सहमत हैं तो आगामी माह की प्रगति में उसे संशोधित करते हुए आवश्यक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यवाही की जाएगी, परन्तु माह मार्च की प्रगति में 25 अप्रैल तक संशोधन किया जा सकता है।

8. उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरान्त शासन द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख समय सांय 5.00 बजे के उपरान्त वेबसाइट को लाक कर दिया जाएगा। शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2015 में अंकित शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-5/2016/1030(1)/31-2016-76/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- श्री नवीन कपूर, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 योजना भवन लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि एजेण्डा बिन्दुओं से सम्बन्धित विभागों को लागिन आई0 डी0 एवं पासवर्ड उनके विभागीय ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in